प्रेस विज्ञप्ति

29.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के संबंध में मैसर्स एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और इसकी अन्य समूह कंपनियों की 1.64 करोड़ रुपए कीमत की 64 संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जिसने पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में हजारों निवेशकों को प्रभावित किया। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, भिंड और दतिया में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। ईडी द्वारा की गई पूछताछ से पता चला कि नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों और अन्य के प्रबंध निदेशक, पीपल सिंह के विरुद्ध प्रभावित निवेशकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की गईं।

नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों के निदेशकों ने आम जनता को उनके निवेश पर अधित प्राप्तियों के झूठे वादे पर एफडी/आरडी के रूप में समुह की कंपनियों में निवेश का लालच देकर अपराध की आय (पीओसी) आर्जित की थी। ईडी की जांच से पता चला कि मुख्य आरोपी पीपल सिंह और उसके सहयोगियों द्वारा कई कंपनियां बनाई/समाविष्ट की गईं। परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को पैसा लौटाने में चूक की, जिससे उनकी मेहनत की कमाई ठग ली गई। इसके अलावा, मामले की जांच से पता चला कि पीओसी का इस्तेमाल मैसर्स एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों के नाम पर मध्य प्रदेश में खरीदी गई विभिन्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था।

इससे पहले 24.02.2023 को मैसर्स एनजीएचआई डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और इसकी अन्य समूह कंपनियों की 4.15 करोड़ रुपए कीमत की 87 संपत्तियां ईडी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क की गई थीं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।